

# ।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

Email-dfo\_badrinath\_uta@yahoo.co.in

Phone no- 01372-252175

पत्रांक 63 / 12-1 , गोपेश्वर, दिनांक 03/07 2018।  
सेवा में,

वन संरक्षक,  
गढ़वाल वृत्त,  
उत्तराखण्ड पोड़ी।

विषय:- जनपद चमोली के अन्तर्गत सरकोट-देवसारी मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- ई0डी0एस0 दिनांक 09.03.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग थराली, की पत्र सं0 1038/36सी दिनांक 07.06.2018 से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। जिसे ऑनलाईन एवं हार्ड कापी में संलग्नको सहित प्रेषित है।

क्र0 सं0	लगाई गई आपत्तियों	आपत्तियों का निराकरण
1.	Justification for locating the project in forest land not authenticated by DFO.	Justification for locating project in forest land and uploaded at para-D(i) part-I.
2.	The cost benefit analysis provided in hard copy and uplaoded at para 'G' Part-I is, incomplete and not in prescribed format	C/B analysis inmprescribed format of MoEF & CC letter dated 01-08-2017 with all parameter quantified in monetary terms is uploaded at para -G (a) Part-I.
3.	As per DSS analysis of the CA area complete 12.00 ha area falls in Moderately dense forest (MDF).	Plantation scheme of 12000 trees in lieu of this MDF area @ of 1000 trees per ha. With detail of the area selected for plantation as per prescription of working plan is uplaoded at Para-I. and Afforestation Plantation utilization certificate uploaded in Part II Additional information.
4.	Employment likely to be generated during the construction of project at para E Part-I seems to be incorrect.	Details at para E Part-I regarding employment generation is now corrected.
5.	All the documents uploaded online as addl. document in Para-I is though signed but name and stamp of the person signing the document is not found.	Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User agency is attached at Para-
6.	Muck disposal is proposed in Reserve forest and only photographs are attached in muck management plan.	Certificate for Muck disposal in Reserve forest is attached at additional infomation Details of Para-L




परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के अन्तर्गत सरकोट-देवसारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.964 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है:-

1- ईको-क्लास श्रेणी	-	V
2- हरियाली का घनत्व	-	0.6
3- एन०पी०वी० की दर प्रति है०	-	8,45,000.00
4- आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	-	5.964 है०
5- कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि	-	50,39,580.00

  
प्रभागीय प्रशासक  
प्रभागीय वन अधिकारी,  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

## SITE INSPECTION REPORT

NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA 1980)

1. A proposal has been received by this Office from the E.E PWD Tharali District-chamoli (Uttarakhand) for diversion (under FCA 1980) of 5.964 Hectare of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for the **Construction of Sarkot Devsari Motor Road**. The Site Inspection of the land involved in the proposal has been done by me on date 09 -06-2017.
2. On inspection of the site, it is found that the land required by the User Agency is a Forest area measuring 5.964 Hectare.
3. The requirement of Forest Land as proposed by the User Agency in Column no-2 of Part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project. - yes
4. There are no rare/endangered/unique Species of Flora and Fauna found in the area.-No
5. There are no Archaeological/heritage site/defined establishment or any other important Monument located in the area.- No
6. The User Agency has not violated the provision of Forest Conservation Act, 1980 and no work has been started without proper sanction. - No

Recommended for acceptance of the proposal for diversion of 5.964 ha, Hectare of forest land for non-forestry purpose i.e., for "**Construction of Sarkot Devsari Motor Road**".

Recommended in public interest.

Place- Gopeshwar

Date- 09 -06-2017

(Signature)

Name- N.N.Pandey  
Designation- Divisional Forest Officer

Office Seal- प्रभागीय वन्यायिक अधिकारी  
गोपेश्वर, चमोली जिला, उत्तराखण्ड

(प्रस्ताव की तिथि के साथ नीचे ल अधिकारों द्वारा भरा जायेगा)

भाग-2

(सम्बन्धित सम वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

7- परियोजना/विद्युत का प्रकार **सरकोट द्वेसारी मोटर मार्ग**

(1) राज्य/संघ गठित क्षेत्र **उत्तराखण्ड**

(2) जिला **दुमौली**

(3) वन प्रकार **बाघनाथ वन प्रभाग ग्रीष्म**

(4) वनोत्तर भूमि प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे०) **5.964 हे०**

(5) वन की मान्यता स्थिति **4.895 हे० अराक्षित, 1.069 सिविल भूमि**

(6) हरियाली घनत्व **0.6**

(7) जातिवार (वैज्ञानिक नाम) और सुरक्षित/श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (सलगन की जाय)। सिंचाई जलसिंचनाओं की सम्बन्ध में एक/अन्य/एल- 2 की० पर परिगणना और एक/अन्य/एल- 4 की० भी सलगन किये जायें।

प्रस्ताव में **सँलगन**

(8) नुक़रन के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त दिष्णनी (9) क्या मार्ग राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव वन्यता रिजर्व नाम रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ क्षेत्र का कोर और प्रमुख वन्य जीव प्रजनन की दिष्णियाँ अनुबन्धित की जायें)

प्रस्ताव में **सँलगन**  
**नहीं**

(10) क्या क्षेत्र में वनस्थिति और प्रायोजक की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धित व्यौरा दें।

**नहीं**

(11) क्या कोई सुरक्षित पुरातात्विक/पैथमॉरिफ स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धित व्यौरा संलग्न प्राधिकरण से अद्यपि प्राप्त/गए के साथ यदि उपलब्ध हो सके।

**नहीं**

(12) उपयोगिता योजना द्वारा भाग-1 कोलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जाके गये निष्कर्षों को ध्यान में रख कर तत्सुद्ध क्षेत्र क्या है।

प्रस्तावित वन भूमि **न्यूनतम है,**

(13) क्या अधिनियम के अनुबन्ध में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, कामों अधिकारियों एवं कार्य कार्यवाही तहियत कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य कार्य में चल रहे हैं।

**नहीं**

10- प्रतिपूरण बंकेकरण स्थान का स्थान- (13) प्रतिपूरण बंकेकरण में किये अधिनियमों के अनुबन्धित क्षेत्र/अनुबन्धित वन क्षेत्र आसानी से वन से हटती भूमि प्रस्ताव की संख्या तथैवक भू-खण्ड का आकार

प्रस्ताव में **सँलगन**

- 10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौसा -
- प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनोत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र आस पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, मू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक मू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक मू-खण्ड का आकार।
  - प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनोत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
  - रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत आदि।
  - प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिचय।
  - प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र को उपयुक्तता के बारे में और प्रवन्धकीय दृष्टिकोण से रखन प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (समयान्वित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

प्रस्ताव में संलग्न

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशिष्ट उपयुक्तता कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये सभ्यता को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

12- प्रमाण/जिला अफिसल -  
जिला का भौगोलिक क्षेत्र।

- जिला का वन क्षेत्र।
- मामलों की संख्या सहित 1980 से वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।
- 1980 से जिला/प्रमाण में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण ताहत वन भूमि
- (ख) वनोत्तर भूमि पर  
एक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रमाँरी
- (क) वन भूमि पर 4250.96 हे०
- (ख) वनोत्तर भूमि पर 132.71 हे०

8030008  
514792 हे०

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लाने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

अनहित हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक 01/01/2017

स्थान गोपेश्वर

हस्ताक्षर

नाम

प्रधानीय निदेशिका  
ज्वालना वन प्रभाग, गोपेश्वर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

Ph. No: 01363-271224

e\_mail :- eecdthrl.pwduk@gov.in

संक्र. 1038 / 36C

दिनांक 7-6 / 2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

विषय :-

जनपद चमोली के अन्तर्गत सरकोट-देवसारी मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

ई0डी0एस0 दिनांक 09/03/2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक ई0डी0एस0 के माध्यम से दिनांक 09/03/2018 को प्राप्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार कर ऑनलाईन अग्रसारित किया जा रहा है -

बिन्दु सं०	आपत्तियां	निराकरण
1	Justification for locating the project in forest land not authenticated by DFO.	Justification for locating project in forest land and uploaded at para- D (i) part-I.
2	The cost benefit analysis provided in hard copy and uploaded at para 'G' Part-I is incomplete and not in prescribed format.	C/B analysis in prescribed format of MoEF & CC letter dated 01.08.2017 with all parameters quantified in monetary terms is uploaded at para-G (a) Part-I.
3	As per DSS analysis of the CA area complete 12.00 ha area falls in Moderately Dense Forest (MDF).	Plantation scheme of 12000 trees in lieu of this MDF area, @ of 1000 trees per ha. with detail of the area selected for plantation as per prescription of working plan is uploaded at Para-L.
4	Employment likely to be generated during the construction of project at para E Part-I seems to be incorrect.	Details at para E Part-I regarding employment generation is now corrected.
5	All the documents uploaded online as addl. document in Part-I is though signed but name and stamp of the person signing the document is not found.	Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency is attached at Para-A-3 (xvii), Part-I.
6	Muck disposal is proposed in Reserve forest and only photographs are attached in muck management plan.	Certificate for Muck disposal in Reserve forest is attached at additional information Details of Para- L

पंजा. सं. 8965

फ. सं. 124

दि. 27/6/18


प्रभाव - बद्रीनाथ वन प्रभाग

कृपिध  
का. 01-22  
DFO

5-10

7	Density mentioned in Part-II is 0.4 for 1038 trees in 5.964 ha area, which should be higher than this and in NPV calculation sheet it is mentioned as 0.6.	Correction should be D.F.O. label.
8	SIR at para-15 Part-II is not clear and legible.	Correction should be D.F.O. label.
9	Recommendation of DFO at para-16 Part-II is not clear and legible.	Correction should be D.F.O. label.
10	FRA uploaded online is of dt. 22/04/2016 but in hard copy it is for 07/04/2016 and on format for non-linear project.	Corrected FRA uploaded online.
11	Undertaking by User Agency to bear the cost of CA, NPV and reclamation cost is not found uploaded.	Undertaking by User Agency to bear the cost of CA, NPV and reclamation cost is already uploaded at additional information details of Para-L.

सलगन - 48 नं० पृष्ठ, उपरोक्तानुसार,

  
 अधिशासी अभियन्ता  
 निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
 थराली चमोली।

## वन भूमि की मांग का औचित्य

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

परियोजना का नाम जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत सरकोट-देवसारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.895 हे० आरक्षित, 1.069 हे० सिविल, कुल 5.964 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश सं० 4520/111(2)/15-08 (मु०मं०घो०)/2015 दिनांक 19/06/2015 द्वारा 9.00 किमी० लम्बाई में प्राप्त हुई है। जिसके परिपेक्ष में प्रस्तुत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया गया है। प्रस्तावित मार्ग ग्वालदम-नंदकेशरी मोटर मार्ग के किमी० 8 से प्रारम्भ होगा तथा देवसारी प्राथमिक विद्यालय पर समाप्त होगा।

यह मार्ग ग्राम देवसारी को यातायात से जोड़ने के साथ-साथ अन्य सुदूरवर्ती ग्रामों को भी लाभान्वित करेगा। मार्ग का सर्वेक्षण लो०नि०वि० की विशिष्टियों के अनुरूप अधिक से अधिक ग्रामों को जोड़ते हुए किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये यातायात का होना अति आवश्यक है। यातायात न होने के कारण इस क्षेत्र का विकास बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। इस क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए यहां मार्ग निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। यह क्षेत्र यातायात से वंचित होने के कारण काफी पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती एवं पशुपालन है। यहां के लोगों का अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने के लिये काफी दूर पैदल चलना पड़ता है तथा सामान को अपनी पीठ पर ढोना पड़ता है, जिससे समय अनावश्यक नष्ट हो जाता है। यदि यातायात की सुविधा इस क्षेत्र में उपलब्ध हो जाती है तो, खेती में फसल की अच्छी कीमत मिलने की संभावना होगी। क्षेत्रवासियों का जीवन स्तर ऊंचा होगा।

इस समरेखण पर उक्त परियोजना के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु किमी० 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 में स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका जी०पी०एस० नान 30 01' 46.73" उ०, 79 35' 11.98" पू० / 30 01' 40.86" उ०, 79 36' 0.66" पू० / 30 01' 54.78" उ०, 79 35' 48.36" पू० / 30 02' 6.52" उ०, 79 35' 49.70" पू० / 30 01' 14.98" उ०, 79 35' 21.58" पू० / 30 01' 14.98" उ०, 79 35' 40.54" पू० हैं।

प्रस्तुत मार्ग के निर्माण हेतु वृक्षों की गणना 7 मी० में कम से कम वृक्षों को क्षति पहुंचाते हुए की गई है। इस मार्ग के निर्माण से क्षेत्रवासियों को कोई आपत्ति नहीं है। इस मार्ग के बन जाने से क्षेत्र की अधिक से अधिक जनसंख्या को लाभ मिलेगा। उपरोक्त मार्ग में कुल 5.964 हे० वन भूमि पड़ती है, जिस हेतु प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

उक्त लाभान्वित ग्रामों हेतु पूर्व में कोई भी सड़क संयोजकता उपलब्ध नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों एवं विभाग द्वारा किये गये विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात उक्त एकमात्र संरेखण ही उपयुक्त पाया गया है, जिसमें 4.895 हे० आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी।

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिसारी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०

थराली, (चमोली)

थराली, (चमोली)

प्रमुखीय वनाधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर  
(चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी  
मध्य विण्डर वन क्षेत्र, थराली  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

## COST BENEFIT ANALYSIS

(As per MoEF & CC guideline No. 7-69/2011-FC (Pt.) dated 1<sup>st</sup> August, 2017)


NAME OF PROJECT:- Construction of Sarkot-Devsari Motor Road.

**Table B: Estimaiton of cost of Forests Diversion.**

SL. No	Parameters	Estimated Cost
1	Ecosystem services losses due to proposed forest diversion	The estimated NPV (Economic value of loss of ecosystem services) of the 5,964 Ha. forest land is Rs. 50.40 Lac.
2	Loss of animals husbandry productivity including loss of fodder	10% of NPV = 5.04 Lac
3	Cost of human resettlement	There is no displacement due to the project. Therefore the cost of human settlement is Rs. 0.00
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Buildings, Schools, Dispensaries, Electric lines, Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	No loss of public facilities and administrative infrastructure due to the project. Therefore loss is Rs. 0.00
5	Possession value of forest land diverted	30% of NPV = 15.12 lac
6	Cost of Suffering to oustees	No suffering of oustees. Therefore the cost of suffering to oustees is Rs. 0.00
7	Habitat Fragmentation cost	50% of the NPV = Rs. 25.20 Lac
8	Compensatory afforestation and soil & moisture conservation cost.	The estimated cost of raising the CA in 11,928 Ha is Rs. 24.04 Lac for 10 Years. Considering discounting rate 12% for future 100 years, the present value is Rs. 74.66 Lac
	Total Environmental Loss	Rs. 160.42 Lac

  
N/AE

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो० वि० वि०  
बराली (फमोली)

  
अधिसाक्ष अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो० वि० वि०  
बराली (फमोली)

**Table C: Estimaiton of cost of Forests Diversion.**


Sl.no.	Parameters	Estimated Cost.
1	Increase in productivity attributable to the specific project.	Saving in cartage of material by Vehicle instead of head load Rs. 1000 per person / per Year $(638 \times 1000) / 100000 = \text{Rs. } 6.38 \text{ Lac.}$ Saving in 100 Year = Rs. 638.00 Lac.
2	Benefits to economy due to the specific project	Agricultural production @ 4000 per person / Per Year $(638 \times 4000) / 100000 = \text{Rs. } 25.52 \text{ Lac.}$ cost of Agriculture Production for 100 year = Rs. 2552.00 Lac.
3	No. of population benefited due to specific project	About 638 people will be benefited directly from this construction.
4	Economic benefits due to of direct and indirect employment due to the project.	Employment 20% population will get employed for 200 days @ 400 per day $(0.20 \times 638 \times 200 \times 400)$ = Rs. 102.08 Lac
5	Economic benefits due to Compensatory afforestation.	30% of NPV = 15.12 lac considering discounting rate 4% for future 100 years the present value For One Year Rs. $15.12 \times 4\% = 0.60 \text{ Lac}$ For 100 Year Rs. $0.60 \times 100 = \text{Rs. } 6.00 \text{ Lac}$
	Total Benefits derived from the Project	R.s 3298.08 Lac

Benefit Cost Ratio = R.s 3298.08 Lac / Rs. 160.42 Lac = 20.56 : 1

It is clear from above analysis that construction of above project is more beneficial than Environmental losses.

  
AIAE

  
सहायक अधियक्षक  
निर्माण खण्ड लोड निउ विउ  
धराली (चमोली)

  
अधिशान्ति अधियन्ता  
निर्माण खण्ड लोड निउ विउ  
धराली (चमोली)

## क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

प्राक्कलन वावत:- जनपद चमोली के अन्तर्गत सरकोट -देवसारी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 8.125 किमी० निर्माण हेतु

2- वृक्षारोपण स्थल का नाम :- घेस सिविल

3- क्षेत्रफल :- परियोजना का क्षेत्रफल X 2 = ( 5.964 x2) = 11.928 है० या 12.00 है०।

4- रोपित किये जाने वाले कुल पौधों की संख्या ( कुल क्षेत्रफल 12x 1000) = 12000 पौधे

5- रोपित की जाने वाली प्रजातियाँ :-बांज, काफल, पदम, पांगर, अखरोट, आदि

क्र० सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०) प्रति	योग
1	2	3	4	5	6
(1)	प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य :-				
1.	सर्वे एवं सीमांकन	12.00	है०	81.00	972.00
2.	स्थल सफाई कार्य	12.00	है०	2627.00	31524.00
3.	दीवालबन्दी कार्य / फेन्सिंग( 150मी०प्र० है० = 81 घ० मी० @121/- घ० मी० 2250x0.45x1.20	12.00	है०	22275.00	267300.00
4.	गड्ढा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45)रेखांकन चूना सहित	12000	गड्ढे	5.60	67200.00
5.	डी०ए०पी० खाद की लागत 25 ग्राम प्रति गड्ढा	300	किग्रा०	20	150.00
6.	पौध की कीमत (प्रथम वर्ष )	12000	पौधे	4.40	52800.00
7.	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10 है०) के आधार मानते				
	1- वानस्पतिक चैकडेम/स्टोन चैक डेम 8x4588 = 36700	12.00	है०	6446.00	77352.00
	3- वाटर हरवेस्टिंग टैंक (3x2.50x10) 5x5140 = 25700				
	योग = 62400				
9.	निरीक्षण बटिया बनाना	10	है०	645.00	6450.00
	योग - प्रथम चरण :-				<b>503748.00</b>
(2)	द्वितीय वृक्षा रोपण कार्य				
1.	झाड़ी कटान (लेन्टाना गाजर घास / काला बास )	12.00	है०	1329.00	15948.00
2.	गड्ढा भरान कार्य डी०ए०पी० मिलाने सहित	12000	गड्ढे	1.00	12000.00
3.	पौध डुलान कार्य	12000	पौधे	6.20	74400.00
4.	पौध रोपण कार्य	12000	पौधे	1.95	23400.00
5.	पौधों की प्रथम निराई -गुड़ाई मलचिंग कार्य	12000	पौधे	1.37	16440.00
6.	पौधों की द्वितीय निराई-गुड़ाई एवं मलचिंग कार्य	12000	पौधे	1.15	13800.00
7.	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	12000	पौधे	1.25	15000.00
8.	वाचर (चौकीदार प्रथम वर्ष रोपण वर्ष ) 7 माह	12.00	है०	483	40572.00
9.	साईन बोर्ड आदि क्रय	12.00	ल०स०	8057	96684.00
	योग द्वितीय चरण :-				<b>308244.00</b>
(3)	तृतीय वर्ष 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (वीटिंग अप) प्रति है०				
1.	पौध की लागत	1200	पौधे	5.65	6780.00
2.	पौध डुलान कार्य	1200	पौधे	6.20	7440.00

1	2	3	4	5	6
3.	पूत: गड़ढा खोदना एवं रोपण कार्य	1200	पीघे	3.10	3720.00
4.	गड़ढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	1200	पीघे	1.37	1644.00
5.	पीघों की शीतकालीन मलचिंग	1200	पीघे	1.15	1380.00
6.	वनीकरण चौकीदार ( 12 माह) 1 वर्ष	12.00	हे0	483.00	69552.00
7.	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य		ल0स0	320.00	3840.00
योग तृतीय चरण :-					94356.00
(4)	चतुर्थ वर्ष (रखरखाव कार्य )				
1.	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह )	12.00	हे0	483	69552.00
2.	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य		ल0स0	320	3840.00
योग चतुर्थ चरण :-					73392.00
(5)	पंचम वर्ष (रखरखाव कार्य )				
1.	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12.00	हे0	468.00	67392.00
2.	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य		ल0स0	310x3	26784.00
योग पंचम चरण :-					94176.00
(6)	सष्ठम वर्ष (रखरखाव कार्य )				
1.	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह )	12.00	हे0	483.00	69552.00
2.	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य		ल0स0	320.00	3840.00
योग सष्ठम चरण :-					73392.00
(7)	सप्तम वर्ष (रखरखाव कार्य )				
1.	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12.00	हे0	483.00	69552.00
2.	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य		ल0स0	320x3	14448.00
योग सप्तम चरण :-					84000.00
(8)	अष्ठम वर्ष (रखरखाव कार्य )				
1.	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह )	12.00	हे0	483.00	69552.00
2.	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य		ल0स0	320.00	3840.00
योग अष्ठम चरण :-					73392.00
(9)	नवम् वर्ष (रखरखाव कार्य )				
1.	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12.00	हे0	483.00	69552.00
2.	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य		ल0स0	320	11520.00
योग नवम् चरण :-					81072.00
(10)	दशम् वर्ष (रखरखाव कार्य )				
1.	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12.00	हे0	483.00	69552.00
2.	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य		ल0स0	320x3	14448.00
योग दशम् चरण :-					84000.00
सम्पूर्ण योग:-					1469772.00

प्रभुनाथ वन प्रभाग अधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग अधिकारी  
(बनोली)

वन क्षेत्र अधिकारी  
पूर्वी पिण्डर रेंज देवाल  
बद्रीनाथ वन प्रभाग

**क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र**

परियोजना का नाम : जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत सरकोट-देवसारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.895 हे० आरक्षित, 1.069 हे० सिविल, कुल 5.964 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ~~द्वेस सिविल~~  
स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

वन क्षेत्र अधिकारी  
पूर्व पिण्डर देवाल  
प्रभागीय वन प्रशासक बोपेसुन्दर


प्रभागीय वनाधिकारी  
प्रभागीय वनाधिकारी  
बदीनाथ वन प्रशासक गोपेश्वर  
(चमोली)

**क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय का वहन किये जाने  
का प्रमाण पत्र**

परियोजना का नाम : जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत सरकोट-देवसारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.895 हे० आरक्षित, 1.069 हे० सिविल, कुल 5.964 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय का लोक निर्माण विभाग द्वारा वहन कर दिया जायेगा।

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो० सि० वि०  
- थराली (चमोली)

  
अभिजाति अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो० सि० वि०  
- थराली (चमोली)

  
प्रभागीय वनाधिकारी

  
वन क्षेत्राधिकारी  
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर  
(चमोली)

## आरक्षित वन भूमि में मलबा निस्तारण हेतु प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत सरकोट-देवसारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.895 हे० आरक्षित, 1.069 हे० सिविल कुल 5.964 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग का अधिकतम भाग आरक्षित वन भूमि से गुजरता है, जिससे उत्सर्जित मलबे के निस्तारण हेतु आरक्षित वन भूमि चयनित की गई है। इसके अतिरिक्त कोई निकटतम अन्य भूमि उपलब्ध नहीं है।

दाता प्रताप कुमार

सहायक अभियन्ता  
निर्माण कार्य एवं सि० वि०  
चमोली

सहायक अभियन्ता  
निर्माण कार्य एवं सि० वि०  
चमोली

## प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सरकोट-देवसारी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.964 हे० के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित घेस सिविल 12.00 हे० क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है, क्षेत्र में वर्तमान में कटीली झाड़ीनुमा वृक्ष उगे हैं।

वन क्षेत्र अधिकारी,  
पूर्व विन्डर देवात  
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

## प्रारूप

परियोजना का ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या:-

परियोजना का नाम:- सरकोट-देवसारी मोटर मार्ग का निर्माण

परियोजना का क्षेत्रफल (हे०) - 5.964 हे०

प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम- लो०नि०वि० थराली।

वन प्रभाग का नाम - बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

प्रमाणित किया जाता है कि सरकोट -देवसारी मोटरमार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 12.00 हे० क्षेत्र घेस सिविल सोयम भूमि का अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया, कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र वनाच्छादित नहीं है। क्षेत्र झाड़ीनुमा व रिक्त है। वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्त है।

(एन०एन०याण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

**एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा  
कराये जाने का प्रमाण-पत्र**


परियोजना का नाम : जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत सरकोट-देवसारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.895 हे० आरक्षित, 1.069 हे० सिविल, कुल 5.964 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

  
खण्डीय अमीन

  
कनिष्ठ अभियन्ता

  
सहायक अभियन्ता

  
अधिशारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वी०  
थराली, (चमोली)

**Attachement 1.6 (A)**

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER**  
**District Chamoli (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

**To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Sri Asheesh Joshi I.A.S deputy commissioner, on dated 04/06/2018 at time 13:00hrs at Chamoli in which application claiming rights in Devsari area measuring 5.964 hect for the Construction of Sarkot-Devsari Motor Road under State Sector forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Tharali sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Devsari

Dated: 04/06/2018

04/06/18  
(I.A.S. Asheesh Joshi)

Deputy Commissioner-cum-Chairman  
District Level Committee

जिलाधिकारी  
चमोली

FORM-I  
(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No---

Dated- 04/06/2018

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 5.964 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public works Department for Construction of Sarkot-Devsari Motor Road in Chamoli district falls within jurisdiction of Devsari village (s) in Tharali tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 5.964 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

04/06/18  
(AS Asheesh Joshi)  
जिलाधिकारी  
चमोली

